भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 906

उत्तर देने की तारीख : 27.07.2026

केंद्रीय मंत्रालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा एमएसएमई से की गई खरीद

906. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से कितनी खरीद की गई है;

(ख) क्या सरकार टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म तथा एमएसएमई समाधान पोर्टल को व्यापक रूप से अपनाने सहित, बड़े खरीदारों तथा पीएसयू द्वारा एमएसएमई के बकाया भुगतान के समयबद्ध निपटान की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो विलंबित भुगतान से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए और कौन-कौन से अतिरिक्त उपाय परिकल्पित किए गए हैं; और

(घ) सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से की जाने वाली खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई संबंध पोर्टल पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा अपलोड की गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सीपीएसई द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद का विवरण अनुबंध के रूप में प्रदान किया गया है।

(ख) और (ग) : बढ़े खरीददारों और सीपीएसई द्वारा एमएसएमई के बकाया का समय पर भुगतान और निपटान को सुदृढ़ करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने निम्न कदम उठाए हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना द्वारा सीपीएसई और 250 करोड़ या अधिक के टर्नओवर के साथ सभी कंपनियों को आरबीआई द्वारा प्राधिकृत किसी भी एक व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) पर शामिल होने के लिए अधिदेशित किया है।

ii. एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 30.06.2026 की अधिसूचना द्वारा सभी सीपीएसई को आरबीआई द्वारा प्राधिकृत किसी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से चालानों के निपटान को रूट करना अधिदेशित किया है।

iii. एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सीपीएसई के बकाया देय की निगरानी के लिए लिए दिनांक 27.06.2026 को समाधान पोर्टल 2.0 (http://samadhaan.msme.gov.in/MyMSME/MSEFC/MSEFCWelcomer.aspx.) की शुरुआत की है।

iv. एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जुड़े विलंबित भुगतान विवादों के त्वरित, लागत प्रभावी और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल की शुरुआत की है। ओडीआर फ्रेमवर्क के तहत मुकदमेबाजी से पहले, संवाद आधारित तंत्र की शुरुआत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों द्वारा औपचारिक न्यायनिर्णयन के लिए मामला आगे बढ़ने से पहले क्रेता और विक्रेता के बीच स्वैच्छिक मध्यस्थता, सुलह या बातचीत को प्रोत्साहित करती है।

(घ) : सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 का नियम 149 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने के लिए अधिदेशित करता है। जेम ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जेम को अपनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई को भुगतान सुविधाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का जेम के साथ लिंक कर दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 906, जिसका उत्तर दिनांक 27.07.2026 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

सीपीएसई द्वारा एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक खरीद

वित्त वर्ष	**कुल खरीद (करोड़ रुपए में)**	**एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)**
2023-24 (154 सीपीएसई और 1 विभाग)	1,71,784.87	75,127.52 (43.73%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या -2,59,755)
2024-25 (186 सीपीएसई)	2,20,465.76	94,479.09 (42.85%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या -3,11,164)
2025-26 (186 सीपीएसई) दिनांकः 23.07.2026 तक)	2,36,091.25	1,15,778.31 (49.04%) (लाभान्वित एमएसई की संख्या -2,76,361)

स्रोतः- एमएसएमई संबंध पोर्टल